प्रेषक,

एस0पी0 सिंह,

उप सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक** 21 **फरवरी, 2024**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, मेरठ हेतु विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2023-24/781, दिनॉक 09.01.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, मेरठ हेतु विभिन्न मानक मदों में कुल रू0 1046.39 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने पर विचार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व पक्ष के लेखाशीर्षक-2210-05-105-03-41-राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि **रू0 550.00 लाख एवं** लेखाशीर्षक-2210-01-110-15-08-सरदार बल्लभ भाई पटेल शिक्षण चिकित्सालय, मेरठ हेतु 10.00 लाख, इस प्रकार **कुल रू0 560.00 लाख (रू0 पाँच करोड़ साठ लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति (संलग्न प्रपत्र बीएम-9 के अनुसार) निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, चि0शि0 का होगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में नहीं की जायेगी।
4. स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिनांक 31 मार्च, 2024 तक कर लिया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 2210011101508 सरदार बल्लभ भाई पटेल शिक्षण चिकित्सालय मेरठ मानक मद 41 भोजन व्यय (2) रुपये 5,50,00,000 (रुपये पांच करोड़ पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 2210051050341 मेडिकल कालेज मेरठ मानक मद 58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक -17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

Digitally Signed by सत्य प्रकाश सिंह
Date: 20-02-2024 15:43:10
Reason: Approved

(एस0 पी0 सिंह)
उप सचिव।

संख्या व तद्यदिनांक-उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ।
3. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, मेरठ।
5. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, मेरठ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0 पी0 सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2718875/2024/ -1

बी एम-9 (भाग- 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

A071-2023-24-71-1002-002-5-2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ हेतु विभिन्न मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान विनियोग /	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
031	2210011101508 (सरदार बल्लभ भाई पटेल शिक्षण चिकित्सालय मेरठ (	01 (वेतन(	17,50,00,000 रुपये सत्रह करोड़ पचास लाख मात्र	6,00,00,000 रुपये छह करोड़ मात्र	-6,00,00,000 रुपये छह करोड़ मात्र	11,50,00,000	2023-2024
031	2210011101508 (सरदार बल्लभ भाई पटेल शिक्षण चिकित्सालय मेरठ (	03 (मंहगाई भत्ता(	7,87,50,000 रुपये सात करोड़ सतासी लाख पचास हजार मात्र	3,00,00,000 रुपये तीन करोड़ मात्र	-3,00,00,000 रुपये तीन करोड़ मात्र	4,87,50,000	2023-2024
031	2210011101508 (सरदार बल्लभ भाई पटेल शिक्षण चिकित्सालय मेरठ (	10 (जलकर जल / (प्रभार	1,00,00,000 रुपये एक करोड़ मात्र	58,59,000 रुपये अट्ठावन लाख उनसठ हजार मात्र	-58,59,000 रुपये अट्ठावन लाख उनसठ हजार मात्र	41,41,000	2023-2024
031	2210011101508 (सरदार बल्लभ	17 (किराया,	1,00,00,000 रुपये एक करोड़	35,30,000 रुपये पैंतीस	-35,30,000 रुपये पैंतीस	64,70,000	2023-2024

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	भाई पटेल शिक्षण चिकित्सालय मेरठ (	उपशुल्क और कर-(स्वामिस्व	मात्र	लाख तीस हजार मात्र	लाख तीस हजार मात्र		
031	2210011101508 (सरदार बल्लभ भाई पटेल शिक्षण चिकित्सालय मेरठ (	55 (मकान किराया भत्ता (	1,00,00,000 रुपये एक करोड़ मात्र	50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र	-50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र	50,00,000	2023-2024
031	2210011101508 (सरदार बल्लभ भाई पटेल शिक्षण चिकित्सालय मेरठ (	57 (प्रैक्टिस बन्दी भत्ता(	6,00,000 रुपये छह लाख मात्र	2,50,000 रुपये दो लाख पचास हजार मात्र	-2,50,000 रुपये दो लाख पचास हजार मात्र	3,50,000	2023-2024

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए अनुदान/ विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष
031	2210051050341 (मेडिकल कालेज मेरठ (	58 (आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान (	15,50,00,000 रुपये पंद्रह करोड़ पचास लाख मात्र	5,50,00,000 रुपये पांच करोड़ पचास लाख मात्र	21,00,00,000	2023-2024
031	2210011101508 (सरदार बल्लभ भाई पटेल शिक्षण चिकित्सालय मेरठ (	41 (भोजन व्यय(	60,00,000 रुपये साठ लाख मात्र	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	70,00,000	2023-2024

कृपया उपर्युक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासकीय विभाग को अनुमोदन देना चाहें:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2718875/2024/ -1

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, मेरठ के पत्र दिनांक 09.01.2024 द्वारा अवगत कराया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व पक्ष में विभिन्न मानक मदों में उक्तानुसार प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 1046.39 लाख की बचत सम्भावित है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

वित्तीय वर्ष 2023-24 में सरदार बल्लभ भाई पटेल शिक्षण चिकित्सालय, मेरठ हेतु चिकित्सालय में भर्ती रोगियों की संख्या में हो रही वृद्वि तथा रोगियों एवं उनके एक तीमारदार को प्रतिदिन सुबह एवं शाम को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने हेतु मानक मद-41-भोजन व्यय हेतु रू0 10.00 लाख एवं मेरठ में आउटसोर्स के माध्यम से हाउसकीपिंग सहित कार्यरत विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के मानदेय भुगतान हेतु आगामी माहों की आवश्यकता के दृष्टिगत मानक मद-58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान हेतु रू0 550.00 लाख, इस प्रकार सरदार बल्लभ भाई पटेल शिक्षण चिकित्सालय, मेरठ एवं मेडिकल कालेज, मेरठ में उक्तानुसार विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से कुल रू0 560.00 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

संख्याः आर ई-बजट-1-438-2023-24, दिनांक 12 फरवरी, 2024

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एंव हकदारी) प्रथम/द्वितीय,
उ0प्र0, प्रयागराज।

(एस0पी0 सिंह)
उप सचिव।

(बृजेन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ।
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।